

प्रेषक

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा मे

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: वै०सह०-२ / एन०ओ०सी०/

/2017-18

दिनांक: २७-१-१८

विषय: जियोन इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम चक अल्हडीपुर (झक्का), अमरोहा को री०बी०एस०ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध मे सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या १९१६/ १५-७-०९-०१(२९९)/ २००७ दिनांक १४.०७.२००९ के अनुपालन मे आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक १५.०१.२०१८ मे लिये गये निर्णय के अनुसार जियोन इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम चक अल्हडीपुर (झक्का), अमरोहा विद्यालय को री०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने मे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुशूदित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बोर्डिंग शिक्षा परिषद् हारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-२००९ के अन्तर्गत २५ प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चो को प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्ही मदो न चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यता उस क्षेत्र मे पूर्व मे स्थित ऐसे अन्य विद्यालयो मे चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/ भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदो पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति २०१६ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता री०बी०एस०ई० नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणात्मक कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो की अनुमन्य वैतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्तो नहीं दिये जायेंगे।
- 8- कर्मचारियो की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाग उपलब्ध कराये जायेंगे।

Letters-2

Kalpesh
MANAGER
ZION INTERNATIONAL SCHOOL
AMROHA

PRINCIPAL
ZION INTERNATIONAL SCHOOL
AMROHA

12

- 9— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनके पालन करेगी।
- 10— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकारों में रखा जायेगा।
- 11— राज्य सरकार एवं सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता समझदाता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 12— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने से किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मरवीदीय

डॉ० (महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृ०स०: ब०सहा०-२/एन०ओ०सी०/ ८८५२-५८ /2017-18 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2— आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3— शिक्षा निदेशक (सी०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4— जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 5— जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।

✓ प्रबन्धक, जियोन इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम चक अल्हदीपुर (ढक्का), अमरोहा।

१५/१२.१.१८
डॉ० (महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

Lalitshah
MANAGER
ZION INTERNATIONAL SCHOOL
AMROHA

Darrell May
PRINCIPAL
ZION INTERNATIONAL SCHOOL
AMROHA